वजह से रोज़ लाखों श्रृद्धालु कोल्हापुर आते हैं। वहां पर टूरिज्म की कई सारी साइट्स हैं, बहुत अच्छे मंदिर हैं। वहां पर13 किले हैं, उनमें से विशालगढ़ और पन्हालगढ़ हैं, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का वास्ता रह चुका है। सर, छत्रपती शाहू महाराज जी का जन्म स्थान भी कोल्हापुर है। कोल्हापुर में बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से शुगरकेन की रिकवरी देश में सबसे ज्यादा नंबर वन पर कोल्हापुर में है। यहां के लोग बहुत मेहनती हैं। यहां पर इंडस्ट्री का एक बड़ा हब बन चुका है। यहां पर कपड़ा, गुड़, चीनी की कई सारी मिलें हैं, फाउंड्री है, कास्टिंग है और रेमन्ड जैसी बड़ी इंडस्ट्री भी यहां पर है।

सर, 2015 में रेलवे विभाग ने कोल्हापुर में पुणे से लोंडा वाया मिरज रेलवे ट्रैक की डबल लाइनिंग और विद्युतीकरण के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। मिरज से कोल्हापुर केवल 47 किलोमीटर है। जब मैं लोक सभा में था, तब से यह मांग कर रहा हूं कि मिरज से कोल्हापुर तक डबल लाइनिंग होनी चाहिए। जो पुणे-लोंडा-मिरज तक का काम लगभग पूरा हो चुका है, अभी डबल रेलवे लाइन होने से, कोल्हापुर के लिए अधिक ट्रेन्स होने से व्यवसाय को फायदा हो सकता है।

सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि कोल्हापुर-मिरज रेलवे ट्रैक की डबल लाइनिंग और विद्युतीकरण को मंजूरी दी जाए। इसका भविष्य में कोंकण रेलवे लाइन के विस्तार के लिए भी फायदा होगा। इसके साथ ही 'वन्दे भारत ट्रेन', जो कि बहुत पॉपुलर हो चुकी है, उसकी भी announcement कोल्हापुर-मुंबई के लिए हो चुकी है, उसको भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। सर, प्रधान मंत्री मोदी जी एक विज़नरी लीडर हैं। उन्होंने कोल्हापुर के लिए बहुत कुछ दिया है। यातायात के आवागमन के लिए छह लेन की रोड कोल्हापुर से जा रही है। जो industrial hub corridor बन रहा है, वह भी कोल्हापुर से जा रहा है। कोल्हापुर के एयरपोर्ट के लिए हमारे मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 274 करोड़ रुपये दिए और वह भी फुलफ्लेज रूप से चल रहा है। वहां से 5-6 फलाइट्स चल रही हैं। पीएम-ई बस सेवा केन्द्र के माध्यम से 100 बसें आवंटित हुई हैं। वहां पर सिर्फ रेलवे का ही काम पिछड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि कोल्हापुर-मिरज जल्द से जल्द डबलिंग विद इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik: Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. John Brittas (Kerala), and Dr. Amar Patnaik (Odisha).

धन्यवाद, धनजंय भीमराव महादिक जी। माननीय श्री सुजीत कुमार जी।

Resolving infrastructural deficiencies of Eklavya Model Residential School (EMRS) in Odisha

श्री सुजीत कुमार (ओडिशा) : उपसभापति महोदय, मैं आदिवासी बच्चों की शिक्षा के विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, मेरा विषय है कि जो

एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, EMRS हैं, उनका जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया है और दूसरा जो EMRS नॉन फंक्शनल हैं - मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल अफेयर्स की 2020 की एक रिवाइज्ड गाइडलाइन है, जिसके तहत EMRS की स्थापना करने के लिए एक ब्लाक में कम से कम 50 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या होनी चाहिए और कम से कम 20 हजार आदिवासियों की जनसंख्या होनी चाहिए।

महोदय, Standing Committee on Social Justice and Empowerment ने अपनी 31वीं रिपोर्ट अप्रैल, 2020 में दे दी थी, जिसका टाइटल 'Review of the Functioning of EMRSs' है। उसने इस पॉपुलेशन क्राइटेरिया को अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी बताया है। उन्होंने 41वीं रिपोर्ट में भी इसी बात को दोहराया है और चिंता जाहिर की है। देश में ऐसे बहुत से ब्लॉक्स हैं, जहां पर आदिवासियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत न होकर 45 प्रतिशत, 42 प्रतिशत, 40 प्रतिशत है। उन ब्लॉक्स के बच्चों की इसमें क्या गलती है कि उनको EMRS एजुकेशन से वंचित किया जाए!

महोदय, मैं आपको तीन उदाहरण देना चाहूंगा, ओडिशा में एक ब्लॉक पल्लाहाडा है, जो अंगुल जिले में है, जिसमें आदिवासी जनसंख्या 40 प्रतिशत है। दूसरा, ब्लॉक कांकडहाड़ में है, जो ढेंकनाला जिले में पड़ता है, जिसमें 43 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या है। तीसरा, पाइकमाल ब्लॉक है, बरगढ़ जिले में है, जिसमें करीबन 36 प्रतिशत आदिवासी हैं और इन तीनों जिलों में पॉपुलेशन की वजह से EMRS नहीं खुल सकते हैं। सर, यह बहुत अच्छी स्कीम है, Excellent स्कीम है, लेकिन जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है, इसकी वजह से बहुत सारे आदिवासी बच्चे क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं।

सर, अभी ओडिशा में 104 EMRS सैंक्शन हुए हैं, उनमें से सिर्फ 32 EMRS ही फंक्शनल हो पाए हैं और 72 स्कूल्स अभी तक फंक्शनल नहीं हो पाए हैं। महोदय, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में कहा है कि ईएमआरएस स्कूल्स में टीचर्स की एपॉइंटमेंट के लिए करीबन 40 हज़ार करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए हैं। महोदय, जब स्कूल्स ही फंक्शनल नहीं होंगे, तो इन टीचर्स की एपॉइंटमेंट करके भी क्या फायदा होगा? मेरी सरकार से यही विनती है कि पॉपुलेशन क्राइटेरिया को रीविज़िट किया जाए। सर, मैंने इस बारे में मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी थी और मेरे पास माननीया मंत्री रेणुका सिंह जी का रिप्लाई भी आया था कि 2025-26 में इस क्राइटेरिया पर पुनर्विचार किया जाएगा। सर, उन्होंने मुझे अपनी चिट्ठी में ऐसा रिप्लाई दिया था, लेकिन तीन साल में बहुत देर हो जाएगी, तीन साल में आदिवासी बच्चे डिप्राइव हो जाएंगे, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे।

माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Shri Sujeet Kumar: Dr. John Brittas (Kerala), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Shri Abir Ranjan Biswas (West Bengal), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. Amar Patnaik (Odisha) and Dr. Fauzia Khan (Maharashtra).

माननीय सुशील कुमार मोदी जी, Need for declaration of assets and liabilities by the Judges of the Supreme Court and the High Courts.

Demand for declaration of assets and liabilities by the Judges of Supreme Court and High Courts

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार): माननीय उपसभापति जी, ऑल इंडिया सर्विसेज़ यथा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और सैंट्रल सिविल सर्विसेज़ यानी अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी एवं डायरेक्टर को ज्वाइनिंग के समय और फिर प्रत्येक वर्ष अपनी संपत्ति का अनिवार्य रूप से ब्यौरा देना पड़ता है। सीएजी भी वेबसाइट पर अपने एसेस्ट्स का प्रति वर्ष डेक्लेरेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मतदाताओं को एमपी, एमएलए का चुनाव लड़ने वाले लोगों की संपत्ति के बारे में जानने का अधिकार है। जब कोई एमपी, एमएलए चुनाव के लिए खड़ा होता है, तो उसे अपनी संपत्ति का एफिडेविट फाइल करना पड़ता है। एमपी बनने के बाद 90 दिनों के भीतर और फिर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक सभी एमपीज़ को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। महोदय, यहाँ तक कि सैंट्रल कैबिनेट यानी प्रधान मंत्री तक के साथ-साथ सभी मंत्री अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

उपसभापति महोदय, मंत्री, एमपी और आईएएस के समान जजेज के लिए भी ऐसेट डेक्लेरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए भारत सरकार वर्तमान कानून में संशोधन करे या नया कानून बनाए या कोलीज़ियम मैकेनिज्म विकसित करे। महोदय, anybody holding public office and drawing salary from Exchequer should compulsorily declare annual details of their properties irrespective of the position that person holds. जिस प्रकार से वोटर को एमएलए, एमपी की संपत्ति जानने का अधिकार है, उसी प्रकार से litigant has a right to know the assets of Judges. This will repose the confidence and trust of the litigating public in the judicial system. If the Minister who decides about awarding a tender has to disclose his assets, why not the judge who decides if the Minister's decision is right or wrong? Both are public authorities discharging public function. उपसभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने 7 मई, 1997 को यह निर्णय लिया था कि सभी जजेज अपनी प्रॉपर्टी का मेंडेटरी डेक्लेरेशन करेंगे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने उसे वॉलंटरी कर दिया। महोदय, मैं आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर गया था, मैंने देखा कि 2018 के बाद से इसे अपडेट नहीं किया गया है, क्योंकि यह वॉलंटरी है और इसमें केवल 55 जजेज की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। महोदय, केवल पाँच हाई कोर्ट्स की वेबसाइट पर यह सूचना उपलब्ध है और वह भी केवल कुछ ही जजेज की उपलब्ध है। ..(**समय की घंटी**).. इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसका संज्ञान ले।

MR DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour mention raised by the hon. Member, Shri Sushil Kumar Modi: Shri